प्रेषक,

संख्या–77 78–2–2019–53 आई0टी0/2012

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2

लखनऊः दिनांकः 5 फरवरी, 2019

**विषयः जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज) के रूप में प्राप्त की जा रही धनराशि के अंश के पुनर्विभाजन, वितरण एवं उपयोग के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1527/78–2–2013–53आई.टी./2012 दिनांक 20 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या–11/2016 /11/78–2–2016–34आई.टी./2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा ज़न सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रों से ई–डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु आम नागरिकों से लिये जाने वाले यूजर चार्जेज एवं उसके विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य अंश वितरण की व्यवस्था का निर्धारण किया गया था जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार हैः–

| क. स. | सेवा | डी.एस.पी. / केन्द्र संचालक | यूज़र चार्ज का अंश (रू.) | | सी.ई.जी. | कुल यूज़र चार्ज (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सम्बन्धित विभाग | डी.ई.जी.एस. / लोकवाणी सोसाइटी | | |
| 1 | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा को छोड़कर)** | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 |
| 2 | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा को छोड़कर)** | 11 | 10 | 7 | 2 | 30 |
| 3. | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा हेतु)** | 7 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| 4. | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा हेतु)** | 12 | 10 | 6 | 2 | 30 |

2— उक्त तालिका में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि प्रत्येक आवेदन से यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि के रू0 5.00 अंश को सम्बन्धित विभाग, रू0 7.00 जनपद स्तरीय डिस्ट्रिक्ट ई—गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.), रू0 2.00 सेण्टर फॉर ई—गवर्नेन्स (सी.ई.जी.) एवं रू0 6.00 डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.)/केन्द्र संचालक हेतु निर्धारित किया गया है।

3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या—337/1—18—2018/क0सेल/14/2016 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा अवगत कराया गया कि जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई—डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों इत्यादि के लिए, लिये जा रहे यूजर चार्जेज में से रू0 05/— सम्बंधित कार्मिकों को आवेदन पत्रों के प्रिटिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाये।

4— उपरोक्त बिन्दु संख्या—3 के क्रम में शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सम्बन्धित विभाग के अंश में से रु0 2.00 की धनराशि को डिस्ट्रिक्ट ई—गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) के अंश में समाहित कर दिया जाये जिसके परिणामस्वरूप शासनादेश संख्या—11/2016 /11/78—2—2016—34आई.टी./2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 के प्रस्तर—4 पर उल्लिखित तालिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

| क्र.स. | सेवा का नाम | यूज़र चार्ज का अंश (रू.) | | | | कुल यूज़र चार्ज (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डी.एस.पी./केन्द्र संचालक | सम्बन्धित विभाग | डी.ई.जी.एस./लोकवाणी सोसाइटी | सी.ई.जी. | |
| 1 | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा को छोड़कर)** | 6 | 3 | 9 | 2 | 20 |
| 2 | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा को छोड़कर)** | 11 | 8 | 9 | 2 | 30 |
| 3. | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा हेतु)** | 7 | 3 | 8 | 2 | 20 |
| 4. | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा हेतु)** | 12 | 8 | 8 | 2 | 30 |

5— अतः नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर प्रत्येक सेवा/आवेदन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश में से आवश्यकतानुसार रू0 5.00 की सीमा तक प्रति आवेदन भुगतान शासनादेश संख्या—1110/78—2—2014—53 आई0टी0/2012 दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 द्वारा लागू की गयी प्रयोक्ता प्रभार निधि नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार आय, जाति, निवास प्रमाण—पत्रों एवं अन्य शासकीय सेवाओं की प्रिटिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित जनपद की डी.ई.

जी.एस. सोसाइटी के बढ़े हुये अंश में से डी.ई.जी.एस. द्वारा सम्बंधित कार्मिकों को किया जायेगा। इसी प्रकार ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध अन्य विभागीय सेवाओं/आवेदनों से प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश में से आवश्यकतानुसार रू0 5.00 की सीमा तक प्रति आवेदन का भुगतान सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों को जनपद स्तरीय डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के माध्यम से किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 77/78-2-15(1)/ तद्दिनाँक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस, उ0प्र0, अपट्रान बिल्डिंग, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., लखनऊ।
7. हेड, एस.ई.एम.टी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राकेश वर्मा)
विशेष सचिव